राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:एस्टे/डीईएस/विविध/विप.प्रति./78/2014/34188 दिनांक–30/6/15

आदेश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:प.1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट–I दिनांक 17–02–2014 के क्रम में राजस्थान वित्त निगम लि0 जयपुर के निम्नलिखित कर्मचारियों को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर संबंधित कर्मचारी की कार्यग्रहण दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा विभाग में इन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति होने तक अथवा विपरीत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा निवृति तक, जो भी पहले घटित हो तक के लिए लिया जाकर पातेय वेतन पर निम्नानुसार रिक्त पद पर एतद् द्वारा पदस्थापन किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम कर्मचारी एवं पदनाम	जिस पद पर नियुक्त किया गया	वेतनमान एवं ग्रेड पे	वर्तमान वेतन+ ग्रेड पे	सेवा निवृति दिनांक	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	श्री महेन्द्र सिंह खींची, सहायक	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 3600	17860/–	31.12.2020	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी बांसवाडा	
2	श्री वासुदेव सिंह, सहायक	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 4200	21260/–	31.08.2020	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी भीलवाडा	
3	नीलिमा सक्सैना, सहायक	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 4200	19810/–	31.08.2021	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी बीकानेर	
4	श्री बाबूलाल जोशी, सहायक	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 4200	21690/–	30.09.2021	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी चित्तौडगढ	
5	श्री गजेन्द्र पंवार, सहायक	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 4200	19440/–	30.09.2027	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी जालौर	
6	सुमित्रा चाहर, सहायक	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 4200	20640/–	30.06.2019	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी झुन्झुनू	
7	श्री नरेन्द्र राज मेहता, वरि. सहा.	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 4800	23860/–	30.09.2021	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी जोधपुर	
8	प्रेमलता शर्मा, सहायक	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 3600	16760/–	30.04.2027	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी सीकर	
9	श्री मांगी लाल सालवी, वरि. सहा.	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 4200	21690/–	31.08.2021	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी उदयपुर	
10	श्री मनोहरलाल जयरमाणी, सहायक	सहा. कार्या. अधी.	9300–34800+ 4200	19440/–	31.03.2030	निदेशालय, मुख्यालय	
11	श्री सद्दीक खान, सहायक	लिपिक ग्रेड I	9300–34800+ 3600	14920/–	31.07.2022	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी बाडमेर	
12	श्री किशन देव, टंकक	लिपिक ग्रेड I	5200–20200+ 2400	11160/–	30.04.2026	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी भरतपुर	
13	श्री अब्दुल हकीम, सहायक	लिपिक ग्रेड I	9300–34800+ 4200	21690/–	30.06.2020	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी झालावाड	
14	श्री मुकेश इन्द्रकर, सहायक	लिपिक ग्रेड I	9300–34800+ 4200	19440/–	30.06.2024	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी जोधपुर	

15	श्री वीरमा राम, सहायक	लिपिक ग्रेड I	9300–34800+ 3600	17130/–	30.09.2025	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी जैसलमेर	
16	श्री श्याम सुन्दर तिवाडी, सहायक	लिपिक ग्रेड I	9300–34800+ 4200	19570/–	30.11.2022	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी नागौर	
17	श्री जेठू सिंह, सहायक	लिपिक ग्रेड I	9300–34800+ 4200	21260/–	30.04.2024	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी पाली	
18	श्री राम निवास मीणा, संदेश वाहक	सहा. कर्मचारी	5200–20200+ 1700	7560/–	31.10.2048	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी दौसा	
19	श्री गोमती प्रसाद, जमादार	सहा. कर्मचारी	5200–20200+ 2400	12840/–	30.06.2023	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी भरतपुर	
20	श्री विश्वनाथ, जमादार	सहा. कर्मचारी	5200–20200+ 2400	13090/–	31.10.2020	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी स. माधोपुर	
21	श्री रामेश्वर लाल मीणा, संदेश वाहक	सहा. कर्मचारी	5200–20200+ 2000	11470/–	30.04.2023	सहा. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी सीकर	
22	श्री छगन लाल डांगी, जमादार	सहा. कर्मचारी	5200–20200+ 2400	13090/–	30.04.2021	उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी उदयपुर	
23	श्री दीन दयाल पारीक, जमादार	सहा. कर्मचारी	5200–20200+ 2400	12660/–	31.12.2025	निदेशालय मुख्यालय, जयपुर	
24	श्री शंकर लाल पारीक, वाहन चालक	वाहन चालक	5200–20200+ 2400			निदेशालय मुख्यालय जयपुर	

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101502304 दिनांक 23.06.2015 द्वारा स्वीकृति के आधार पर जारी किया गया है।

विपरीत प्रतिनियुक्ति की शर्तें निम्न प्रकार हैं :–

1. विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) उन्हीं कर्मचारियों का किया जायेगा जिनको अधिशेष घोषित नहीं किया गया हो या जिनकी छंटनी नहीं की गई हो या संस्थान/उसके किसी भाग को, जिसमें कर्मचारी कार्यरत है, को बन्द करने का निर्णय नहीं लिया गया हो। कर्मचारी नियमित रूप से उस संस्थान में कार्यरत हों।
2. पैतृक संस्थान में दैनिक वेतन, स्थिर वेतन, संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) नहीं की जायेगी।
3. विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर उन्हीं कर्मचारियों को लगाया जायेगा जो पैतृक संस्थान में नियमित रूप से चयन के फलस्वरूप सेवा में आये हों एवं समान वेतन श्रृंखला/उच्च वेतन श्रृंखला आहरित कर रहे हों। उच्च वेतन श्रृंखला के पद के विरूद्ध निम्न वेतन श्रृंखला के कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया जायेगा।
4. कोई कर्मचारी विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर उसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकेगा जिस पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताएं रखता हो। इसमें किसी प्रकार का शिथिलन नहीं दिया जायेगा।
5. विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान कर्मचारी को वे ही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो वे पैतृक संस्थान में प्राप्त कर रहे थे अथवा सरकार में देय हों (जो भी कम हो) परन्तु उसे ऐसे अतिरिक्त भत्ते/सुविधाऐं देय नहीं होंगी जो उसे पैतृक संस्थान में प्राप्त थी परन्तु राज्य सरकार में उसके समकक्ष कर्मचारी को देय नहीं हों।
6. विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान राज्य बीमा, जी.पी.एफ., आर.पी.एम.एफ. एवं राज्य कर्मचारियों से किये जाने वाली ऐसी अन्य कटौतियां ऐसे कर्मचारी के वेतन से नहीं की जायेंगी।
7. विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान ऐसे कर्मचारियों के वेतन से पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार वसूली योग्य राशि वेतन से काटी जायेगी। कार्मिक का सीपीएफ अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान नियमित रूप से पैतृक संस्थान को भेजा जायेगा।
8. विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) कार्मिकों पर पैतृक संस्थान के सेवा नियमों की सेवा शर्तें यथावत लागू होंगी एवं अवकाश लाभ पैतृक संस्थान के नियमों के अनुसार ही देय होंगे।
9. विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
10. ऐसे कर्मचारियों को विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान पैतृक संस्थान से बोनस/एक्स–ग्रेशिया का भुगतान नहीं किया जावेगा।

11. चिकित्सा सुविधा एवं यात्रा भत्ता नियम राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुसार ही देय होंगे।
12. विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान कार्मिक के सर्विस रिकार्ड का संधारण पैतृक संस्थान द्वारा ही किया जायेगा। वार्षिक वेतन वृद्धियां आदि पदस्थापन के दौरान नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेंगी।
13. यदि पैतृक संस्था में छंटनी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जाती है या पैतृक संस्थान को बंद किये जाने का निर्णय किया जाता है तो ऐसी संस्था के विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर आये कर्मचारी को भी पैतृक संस्था को लौटाना होगा जिससे संस्था उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे सके अथवा छंटनी कर सके।
14. विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर कार्यरत कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों को देय पेंशन इत्यादि के लाभ देय नहीं होंगे अपितु संस्थान के अनुसार ही सेवा निवृत्ति लाभ नियमानुसार देय होंगे एवं पैतृक संस्थान द्वारा ही भुगतान किया जायेगा।
15. सेवानिवृत्ति से तीन माह या स्वीकृत प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार कार्मिक को उसके पैतृक संस्थान में लौटा दिया जायेगा।

(ओम प्रकाश बैरवा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःएस्टे/डीईएस/विविध/विप.प्रति./78/2014/34188 दिनांक - 30/6/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय मुख्यालय जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम जयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक, राजस्थान वित्त निगम जयपुर।
5. उप/सहा. निदेशक ,आर्थिक एवं सांख्यिकी, संबंधित जिला।
6. लेखाधिकारी, निदेशालय मुख्यालय।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय मुख्यालय।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजस्थान वित्त निगम जयपुर।
9. संबंधित कर्मचारी श्री ----------------------------------, को पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)